तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **आदित्य शंकर बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर)** सू.अ. अपील संख्या 45/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/07/2024	अपीलार्थी आदित्य शंकर निवासी आरटी 02, हंसमुख अपार्टमेंट, किंग्स गार्डन नागल शामा बस स्टेण्ड के पास, रामा मण्डी , जलधंर, पजांब ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 15.03.2024 में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण के प्रकरण संख्या 2023/38 से संबंधित सूचना व अन्य बिन्दु से संबधित सूचना के लिए लोक सूचंना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अति. जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अति. जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1806 दिनांक 14.05.2024 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय से अपेक्षित न होकर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत जरिये पत्रांक 1705 दिनांक 12.04.024 को अंतरण किया गया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) के स्तर से अपेक्षित नही होकर लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण) के स्तर पर लंबित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी ज़ोधपुर दक्षिण) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे अन्यथा नही दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	